Commercial Engineers & Body Builders Co. Limited

...bodies in motion ...

AN ISO/TS 16949:2009 Company
CIN-L24231MP1979PLC049375

Regd. Office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) INDIA
Email Id – cs@cebbco.com, Website – www.cebbco.com, Tel- 07612661336

12.09.2020

To,

The Secretary,
Bombay Stock Exchange Limited,
25th Floor, P J Towers,
Dalal Street,
MUMBAI – 400 001
Fax No.022 2272 2061/022 2272 2041

The Secretary
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No C/1 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai 400051
Fax No. 022-2659 8237/38, 66418124/25/26

Sub:- Newspaper Publication of Un Audited Financials for the Quarter ended 30.06.2020

Ref :- Scrip Code 533272 NSE :- CEBBCO

Dear Sir / Madam,

We have published extract of the Un-audited financials for the quarter ended 30th June 2020 in Raj Express and Financial Express Newspaper on 12.09.2020

Please find enclosed herewith a copy of the paper cutting of the same.

This for your intimation and record

For COMMERCIAL ENGINEERS AND BODY BUILDERS CO. LIMITED

Amit K Jain
Company Secretary

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,
Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,
Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,
Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.
Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand - 932109
Factory (Unit VI) : Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

LOOKING FOR MORE

Vedanta seeks to boost funds for India delisting by $600 m

SUVASHREE GHOSH, BIJOU GEORGE & ANURAG JOSHI
Mumbai, September 11

VEDANTA RESOURCES IS in talks with banks for a further $600 million to finance the delisting of its Indian unit, according to people with knowledge of the matter.

The London-based commodities conglomerate has already secured $3.15 billion in loans and bonds to buy back the shares it doesn't hold in Vedanta.

The company would use the extra funds to cover any shortfalls for the proposed offer of the delisting, the people said, asking not to be identified because the discussions are private.

The company has been buffeted by volatile commodity prices because of weakened demand amid the coronavirus pandemic.

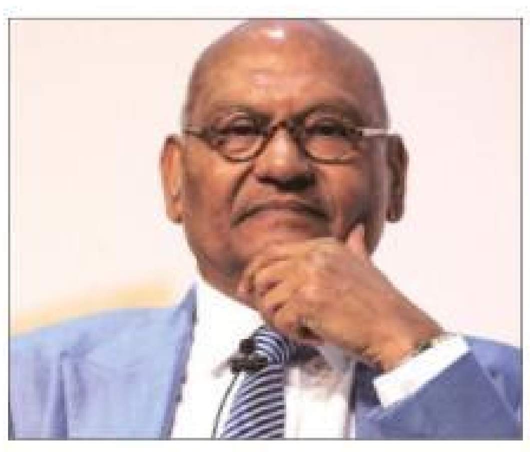

Shareholders will be given the option to offer a price to tender their shares back to founder Anil Agarwal who's seeking to simplify his investments

Shareholders will be given the option to offer a price to tender their shares back to founder Anil Agarwal who's seeking to simplify his investments. The firm is in the final stages of arranging the additional funding lines as it awaits approval from the Securities and Exchange Board of India to go private, the people said. A spokesman for Vedanta declined to comment.

Shares in Vedanta erased losses after Bloomberg reported the funding plans and the stock was trading 1% higher at 2:12 p.m in Mumbai.

The additional $600-million loan could be for three to six months and would be backed by dividend income or cash accrued from Vedanta's cash-rich subsidiary Hindustan Zinc, the people said. Details of the deal are yet to be finalised and the plans could change, they said.

—BLOOMBERG

Govt proposes consumer right rules for quality supply of electricity

FE BUREAU
New Delhi, September 11

TO ENSURE QUALITY of power supply to consumers, the Union power ministry has proposed a set of performance parameters for electricity distribution companies (discoms), failing which these entities will have to pay compensation for power users.

To that end, the ministry has come out with a draft version of Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020 and has sought stakeholders' comments on the proposal by the end of this month.

As per the new rules, state electricity regulators will have to notify updated 'standards of performance' for discoms and specify compensation amounts that consumers would receive if the standards are not met. The parameters for which consumers would be eligible for compensation include unsatisfactory supply duration, number of power cuts, time taken by discoms to provide new connections and replace defective meters.

"It is the right of the consumer to have minimum standards of service for supply of electricity from the distribution licensee as per the rules laid down," the draft of the rules said. Union power minister RK Singh had told *FE* in March that the government was planning to include consumer rights in the regulatory framework, improving upon the current, laxly-implemented 'standards of service' outlined by state power regulators.

The Centre has proposed that new connections and modification of existing connections should be provided by discoms within seven days of receiving requests for consumers. For other municipal areas the time allotted in 15 days and for rural consumers, it will have to be done within 30 days. Discoms will have to make provisions that such requests can be done online, and the progress can be tracked through web-based systems. If the consumers receive electric bills with a delay of more than 60-days, they will be eligible for a rebate of up to 5%, as approved by respective state power regulators.

As per the new rules, state electricity regulators will have to notify updated 'standards of performance' for discoms and specify compensation amounts consumers would receive if standards are not met

All new connections will have to be given smart or regular pre-paid meters. Consumers with smart pre-paid meters will have to be given access to their usage data on a real-time basis, and they should also have the option of purchasing the meters by themselves. State electricity regulators will have to allow self-meter reading by consumers, and photographs of such readings sent through mobile or email would be deemed valid.

South Eastern Railway's freight loading increases 8.7%

FE BUREAU
Kolkata, September 11

SOUTH EASTERN RAILWAY (SER) on Friday said its freight loading performance increased by 8.7% year-on-year in August after touching the last year's level in July.

In the first quarter this fiscal, SER's freight loading declined by 23.8% y-o-y to 31.34 million tonne (MT) from 41.12 MT in the corresponding period last fiscal. In July freight loading stood at 14.38 MT against 14.44 MT in the year-ago period.

"In July our freight loading performance was almost same compared to the last year. In August it was 8.72% higher at 14.58 MT, which was greater than our target. We are maintaining the recovery trend. This is very encouraging sign for us," SER general manager Sanjay Kumar Mohanty said.

"This (financial) year our target for freight loading was around 175 MT. Last month we increased the target to 176.51 MT. Given the increasing trend of loading, we are confident that SER will achieve this loading target as demands for goods and materials are rising," Mohanty said.

E-TENDER NOTICE

Online Request for Proposal For - **"Appointment of Third Party Auditor (TPA) for Madhya Pradesh State Wide Area Network".** Interested eligible bidders may view/download the Tender document from **www.mptenders.gov.in.** First time users of this portal will be required to register online with payment of registration charges.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. STATE ELECTRONICS DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
State IT Centre, 47 A, Arera Hills, Bhopal-462011
Phone : (0755) 2518602, 2518632, Fax : 2579824
E-mail : marketing@mpsedc.com
Website : mpsedc.com

M.P. Madhyam/98431/2020

SRG HOUSING FINANCE LIMITED

R.O: 321, S.M. Lodha Complex, Udaipur- 313001 PH: 0294-2561882, EMAIL: info@srghousing.com
CIN NO: L65922RJ1999PLC015440, WEBSITE: www.srghousing.com

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2020

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Quarter Ended		Prev. Year Ended
	30.06.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
Total income from operations (Net)	1,616.53	1,643.42	7,260.18
Net Profit for the period before Tax (before and after Exceptional and/or Extraordinary items#)	445.66	554.54	2249.12
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	353.45	415.62	1797.04
Total Comprehensive Income for the period	352.13	415.08	1794.04
Equity Share Capital	1300.00	1300.00	1300.00
Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	6185.58
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) Basic & Diluted	2.72	3.20	13.82

Notes: a)The above results of the Company have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on September 10, 2020.
b) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 filed with BSE Limited under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 are available on the website of BSE Limited at **www.bseindia.com** and Company's website at **www.srghousing.com.**

For **SRG Housing Finance Limited**
Sd/-
Vinod K. Jain,
Managing Director, DIN: 00248843

Place: Udaipur
Date: 10.09.2020

R R Financial Consultants Limited

CIN: L74899DL1986PLC023530
Regd off:- 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakambha Road, New Delhi-110001
Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2020 (₹ in lakhs)

Particulars	Consolidated			
	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
Total income from operations (net)	209.89	381.53	485.11	1652.42
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	10.33	28.80	31.99
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1.02	10.33	28.80	31.99
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(0.48)	1.45	26.58	18.48
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-	(0.67)	(0.37)	0.54
Equity Share Capital	1106.94	1106.94	1106.94	1106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year	0	0	0	3390.89
Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	10	10	10	10
Basic	0.03	(0.01)	0.21	0.12
Diluted	0.03	(0.01)	0.21	0.12

Key Standalone Unaudited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2020 (₹ in lakhs)

Particulars	Standalone			
	Quarter ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter ended 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2020 (Audited)
Total income from operations (net)	11.62	22.03	9.73	58.76
Profit before tax	4.35	(6.36)	(2.11)	0.52
Profit after tax	4.35	(6.61)	(2.08)	0.25

Notes:
1. The above is an extract of the consolidated detailed format of Unaudited Financial Results for the First Quarter ended June 30th, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com
2. The figures for the quarter ended 30th June 2020 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended 31st March 2020 and the published unaudited year to date figures up to nine months ended 31st December 2019, which were subject to limited review.

For and on behalf of the Board of
R R Financial Consultants Limited
SD/-
Rajat Prasad
Managing Director
Din: 00062612

Place: New Delhi
Date: 10th September, 2020

Canara Bank — APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

केनरा बैंक Canara Bank — सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical (whichever is applicable)* possession of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 30.09.2020, for recovery of below mentioned due to the Secured Creditor from respective **Borrower/s, Surety/ies. (For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website i.e. www.canarabank.in)**

Sr. No.	Name of the Borrowers/Sureties	Due Amount	Description of Property/ies	Reserve Price	EMD	Branch Name Address/Contact
1.	**Borrower/s:- 1.** Neelam Kumari W/o Satmendra Solanki, G-39, Keshav Kunj, Govindpuram, Distt. Ghaziabad. **2.** Satmendra Solanki, G-39, Keshav Kunj, Govindpuram, Distt. Ghaziabad.	Rs. 6,78,450.94 (Rupees Six Lakhs Seventy Eight Thousand Four Hundred Fifty and Paise Ninety Four Only) as on 31/08/2020 is due along with interest and cost etc.	EMT of Commercial Shop, bearing No. 3, Ground Floor, without roof rights, area 14.00 sq.yards (11.70 sq.mtrs.), constructed on Plot No. 37, related to Khasra No. 1546MI, situated at Keshav Kunj Colony, Hadbast Village Raeespur, Ghaziabad, Owned By Neelam Kumari Bounder as under: **East:** Rasta 18 Feet wide, **West:** Shop No.1, **North:** Stairs, **South:** Shop No.2.	Rs. 6,75,000/- (Six Lakh Seventy Five Thousand only)	Rs. 67,500/- (Sixty Seven Thousand Five Hundred only)	**Delhi Public School, Meerut Road, Ghaziabad, Ph: 011-2828365**
2.	**Borrower/s:- OM ICE FACTORY, Prop. Satya Pal Singh S/o Ved Singh,** Farrukhnagar Road, Post Nistoli, Ghaziabad (UP) 201006. **Gurantor:** Mr. Krishan Singh S/o Rati Ram, Village/Post Nistoli, Farrukhnagar, Ghaziabad (UP) 201006.	Rs. 35,36,048.85 (Rupees Thirty Five Lakhs Thirty Six Thousand Forty Eight and Paise Eighty Five Only) as on 31/08/2020 is due along with interest and cost etc.	All that part and parcel of Land and Building Area 5 Biswa Pukhta in Khasra No. 29M, situated at Village Nistauli Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad, Owned by Satya Pal Singh S/o Sh. Ved Singh **Bounded: East:** Land of Mahendra Singh and others, **West:** Sh. Om Ice Factory, **North:** Road, **South:** Property of Rampal.	Rs. 72,00,000/- (Seventy Two Lakh Only)	Rs. 7,20,000/- (Seven Lakh Twenty Thousand only)	**Branch Farrukh Nagar, Distt. GZB, UP Phone 0120 - 2682224**

Date: 11.09.2020 — Regional Office Ghaziabad — Authorised Officer, Canara Bank

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.

CEBBCO India in motion...
CIN: L24231MP1979PLC049375
Regd. Office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

Extract of Un - Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020
[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Rs.In lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2020 Unaudited	Preceding Qtr. ended 31.03.2020 Audited (Refer Note 5)	Corresponding quarter ended in the previous year 30.06.2019 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	2,997.99	4,570.27	4,152.67	12903.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(247.18)	(57.49)	(81.91)	(910.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(247.18)	(57.49)	573.21	(255.75)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(247.18)	184.29	573.21	(13.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(254.02)	157.82	572.91	(41.34)
6	Equity Share Capital	8,948.27	8,948.27	8,948.27	8,948.27
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	595.93
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(0.28)	0.21	0.64	(0.02)
	2. Diluted:	(0.28)	0.21	0.64	(0.02)

Notes:
1. The above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10 September 2020. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. and is also available on the Company's website at **www.cebbco.com.**
2. During the previous year, the Company had forfeited 0.0001% Non-Convertible Cumulative Redeemable Preference Shares due to non payment of unpaid calls. These preference shares were issued to erstwhile promoters in the year 2014-15 amounting to Rs. 2,000 lakhs of which only Rs. 1,300 lakhs was paid up. Out of the paid up amount, Rs.655.12 lakhs was classified as liability component of compound financial instruments as under the requirement of Ind AS 109. Pursuant to the forfeiture, the Company had recognized a gain of Rs. 655.12 lakhs as 'Exceptional Items' in the financials results of the quarter ended 30 June 2019 and for the year ended 31 March 2020.
3. The Company is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not required to be made.
4. On account of the spread of COVID-19, the Government of India had imposed a complete nation-wide lockdown on 25 March 2020 leading to shut down of the Company's manufacturing facilities and logistics operations. Since then the government of India has progressively relaxed lockdown conditions and has allowed most of the industries and businesses to resume operations in a phased manner. During the quarter, the Company has resumed its manufacturing facilities and is currently in the process of further scaling up its operations. Further, since the lockdown was still in force for a significant period of the reported quarter, the Company's operations were impacted however, management believes that the impact seems to be temporary in nature and the pandemic is not likely to have an impact on the recoverability of the carrying value of its assets as at 30 June 2020. The management is continuously and closely monitoring the developments and possible effects that may result from the current pandemic on its financial condition, liquidity and operations and is actively working to minimize the impact of this unprecedented situation. As the situation is still continuously evolving, the eventual impact may be different from the estimates made as of the date of approval of these financial results.
5. The figures of the preceeding quarter ended 31 March 2020, as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended 31 March 2020 and published year to date unaudited figures upto the end of the third quarter of that finacial year.
6. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with current period classification / disclosures.

For and on behalf of the Board
sd/-
Abhishek Jaiswal
Whole Time Director & C.E.O.
DIN- 07936627

Place : Jabalpur
Date : 10-09-2020

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi -110066
CIN: L74999DL2003GOI118633, Email:investors@rvnl.org

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020 (Rs. in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)	30.06.2020 (Unaudited)	31.03.2020 (Unaudited)	30.06.2019 (Unaudited)	31.03.2020 (Audited)
1.	Revenue from Operations	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97	2,91,082.99	4,22,067.49	2,84,564.15	14,53,057.97
2.	Other Income	5,595.03	5,657.92	5,267.99	26,557.86	5,597.05	5,661.33	5,270.75	24,568.45
3.	**Total Income**	**2,96,678.02**	**4,27,725.41**	**2,89,832.14**	**14,79,615.83**	**2,96,680.04**	**4,27,728.82**	**2,89,834.90**	**14,77,626.42**
4.	Profit/(Loss) (Before Tax)	18,169.01	24,875.07	19,618.95	99,084.03	17,952.74	29,879.23	22,830.75	95,431.66
5.	Net Profit/(Loss) for the period) *	14,315.22	19,730.31	15,004.11	78,985.97	14,098.59	24,734.15	18,215.41	75,332.27
6.	Total Comprehensive Income for the period (Comprehensive profit/(loss) and other comprehensive income for the period)	14,291.98	19,568.36	14,863.07	78,781.02	14,075.35	24,572.88	18,074.37	75,128.00
7.	Equity Share Capital	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01	2,08,502.01
8.	Other Equity	-	-	-	2,41,474.58	-	-	-	3,03,087.91
9.	Earnings per share (EPS)								
	Basic	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61
	Diluted	0.69	0.95	0.72	3.79	0.68	1.19	0.87	3.61

*** There was no exceptional item during the period**

Note:
1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on **11.09.2020.** As required under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Statutory Auditors have conducted a limited review of the above financial results for the quarter ended **30th June, 2020.**
2. The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as Amended) and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
3. The above statement includes results for the quarter ended 31st March, 2020 being the balancing figure between audited figures in respect of full financial year and year to date unaudited figures up to the third quarter of the relevant financial year.
4. The above statement is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The complete format of the Financial Results is available on the Stock Exchange websites at **www.bseindia.com, www.nseindia.com** and on Company's website **www.rvnl.org.**

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Pradeep Gaur
Chairman & Managing Director
DIN:07243986

Place : New Delhi
Dated : 11.09.2020

एक्सप्रेस न्यूज

आईआरसीटीसी हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोली आवेदन तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। सरकार ने आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकरों से आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख चार दिन बढ़ा दी है। अब मर्चेंट बैंकर 14 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी में 15 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए सरकार शेयरों को बिक्री पेशकश के लिए रखेगी।

भेल को 893.14 करोड़ रुपए का घाटा

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भेल को अप्रैल-जून तिमाही में 893.14 करोड़ रुपए का एकीकृत घाटा हुआ है। लॉकडाउन ने कंपनी के परिचालन को बुरी तरह प्रभावित किया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने इस संबंध में शुक्रवार को शेयर बाजारों को सूचित किया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी का एकीकृत घाटा 218.93 करोड़ रुपए था। परिचालन आय घटकर 2086.43 करोड़ रही।

सेबी करेगी संचार प्रणाली में सुधार

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने भारती एयरटेल, विप्रो और टाटा कम्युनिकेशंस समेत आठ कंपनियों को अपने सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क में सुधार के लिए छांटा है। सेबी ने कहा कि उसके द्वारा जिन अन्य कंपनियों को छांटा गया है उनमें हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइजेज इंडिया, आईबीएम इंडिया, एनटीटी इंडिया, ऑरेंज बिजनेस सर्विसेज इंडिया टेक्नोलॉजी और सिफी टेक्नोलॉजी हैं।

मामूली बढ़त में रहा शेयर बाजार

मुंबई। आर्थिक आंकड़ों से पहले ेयर बाजार में दिन भर उतार-चढ़ाव देखा गया। कारोबार की समाप्ति पर सेंसेक्स 14 अंक और निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ एक सप्ताह से अधिक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। बीएसई का सेंसेक्स 14.23 अंक यानी 0.04 प्रतिशत चढ़कर कारोबार की समाप्ति पर 38,854.55 अंक पर और निफ्टी 15.20 अंक यानी 0.13 प्रश की मजबूती के साथ 11,464.45 अंक पर रहा।

टोयोटा के रेसपेक्ट पैकेज की घोषणा

बैंगलुरु। टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए बुकिंग की शुरुआत को ग्राहकों से मिली जोरदार प्रतिक्रिया के जवाब में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने एक रेस्पेक्ट पैकेज की घोषणा की है। यह टोयोटा अर्बन क्रूजर के लिए पहले बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए जल्दी कदम उठाने का फायदा होगा। आने वाली अर्बन क्रूजर के संपूर्ण थीम के साथ तालमेल वाला रेस्पेक्ट पैकेज टोयोटा के कस्टमर फर्स्ट दर्शन के क्रम में है और इसकी शुरुआत ब्रांड के प्रति ग्राहकों ने जो विश्वास और भरोसा दिखा है उसी का ख्याल रखते हुए की गई है।

नौ माह बाद टॉप गियर पर वाहन बिक्री

ऑटो सेक्टर को राहत, अगस्त में थोक बिक्री 14 फीसदी बढ़ी

नई दिल्ली। पांच महीने से कोविड-19 महामारी की मार झेल रहे वाहन उद्योग के लिए अगस्त का महीना राहत भरा रहा। घरेलू वाहन बाजार में नौ महीने से जारी गिरावट का दौर अगस्त में थम गया है। इस दौरान यात्री वाहनों की बिक्री 14.16 प्रतिशत बढ़कर 215916 इकाई रही। पिछले साल इसी माह में यह आंकड़ा 189129 वाहन था।

घरेलू वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स सियाम ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में उससे पिछले 11 महीनों के गिरावट के रुख के बाद मामूली वृद्धि दर्ज की गई थी। जबकि इस साल अगस्त में यात्री वाहनों की बिक्री में यह गिरावट अब नौ महीने बाद थमी है। अगस्त में बिके कुल वाहनों में कारों की बिक्री 14.13 प्रतिशत बढ़कर 1,24,715 इकाई, उपयोगी वाहनों की बिक्री 15.54 प्रतिशत बढ़कर 81,842 इकाई और वैनों की बिक्री 3.82 फीसदी की वृद्धि के साथ 9,359 इकाई रही। त्योहारी मौसम से पहले यात्री वाहन और दुपहिया वाहन की बिक्री के रफ्तार पकड़ने से वाहन उद्योग को बड़ी राहत मिली है। सियाम के अध्यक्ष केनिची आयुकावा ने कहा, बिक्री में वृद्धि दिखनी शुरू हो गई है जिससे इस उद्योग में विश्वास पैदा हुआ है, खासकर दुपहिया और यात्री वाहनों की श्रेणी में। एक साल पहले के मुकाबले अगस्त में बिक्री बढ़ी है, लेकिन अगस्त 2019 में बिक्री में भारी गिरावट रही थी। उस समय यात्री वाहनों की बिक्री 32 प्रतिशत और दुपहिया वाहनों की 22 प्रतिशत घट गई थी। दुपहिया वाहनों की बिक्री में तीन प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू बाजार में इस साल अगस्त में कुल 15,59,665 दुपहिया वाहन बिके। अगस्त 2019 में यह आंकड़ा 15,14,196 इकाई रहा था। इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री 10.13 प्रतिशत बढ़कर 10,32,476 पर पहुंच गई जबकि स्कूटरों की बिक्री 12.30 फीसदी घटकर 4,56,848 इकाई रह गई। मोपेड की बिक्री 25.65 प्रतिशत बढ़ी।

औद्योगिक उत्पादन 10.4 फीसदी घटा

विनिर्माण, खनन, बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन

नई दिल्ली। विनिर्माण, खनन और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन आईआईपी में 10.4 प्रतिशत गिरावट रही। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन में गिरावट की वजह बताते हुए कहा कि कोविड19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों तथा देशभर में लागू लॉकडाउन की वजह से कई औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान मार्च अंत से परिचालन नहीं कर पाये हैं। बयान में कहा गया है कि इससे लॉकडाउन के दौरान इन प्रतिष्ठानों का उत्पादन प्रभावित हुआ। बाद में अंकुशों को हटाए जाने के बाद औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। मंत्रालय ने कहा, महामारी के दौरान के आईआईपी आंकड़ों की महामारी से पूर्व के महीनों के आंकड़ों से तुलना करना उचित नहीं होगा।

विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 11.1 प्रतिशत गिरा

आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 11.1 प्रतिशत घटा है, जबकि पिछले साल इसी महीने में इसमें 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। आईआईपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 77.63 प्रतिशत है। इसी तरह जुलाई में खनन क्षेत्र के उत्पादन में 13 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि एक साल पहले इसी महीने में इस क्षेत्र का उत्पादन 4.9 प्रतिशत बढ़ा था। समीक्षाधीन महीने में बिजली क्षेत्र का उत्पादन 2.5 प्रतिशत घट गया।

जीएसटी काउंसिल की बैठक टली

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 19 सितंबर को होने वाली बैठक फिलहाल स्थगित हो गई है और अब इसके पांच अक्टूबर को होने की संभावना है। सूत्रों ने यह जानाकारी दी। इस बैठक में दरों को व्यावहारिक बनाने और राज्यों को कम्पनसेशन सेस देने के मुद्दे पर चर्चा होनी थी। एक सूत्र ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक का समय बदल दिया गया है। राज्यों के मुआवजे का मुद्दा संसद में उठाया जा सकता है। संसद का सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच चर्चा का अगला दौर हो सकता है। इससे पिछली बैठक में राज्यों को मुआवजे की भरपाई और इस कमी से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई थी। केंद्र ने राज्यों को दो विकल्प दिए थे। इसमें उन्हें बाजार से उधार लेने या आरबीआई की एक स्पेशल विंडो के जरिए उधार लेने का विकल्प दिया गया था। विपक्षी दलों के शासन वाले कई राज्यों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी हो सकेंगी बीमा पॉलिसी

नई दिल्ली। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को अब पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने की अनुमति दे दी है। इरडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में बीमा पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी करने का ही नियम बन जायेगा। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के गैर जीवन बीमा सदस्य टीएल अलामेलू ने कहा कि बीमा क्षेत्र में पॉलिसी धारकों और अन्य संबद्ध पक्षों के मामले में काफी कुछ किये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, जहां तक नियामक की बात है, अभी काफी काम किये जाने हैं। हम लगातार यह देख रहे हैं कि क्या किये जाने की आवश्यकता है, केवल पॉलिसी धारकों के लिये ही नहीं बल्कि बीमा क्षेत्र से जुड़े सभी पक्षों के मामले पर हम गौर कर रहे हैं। कुछ कदम जो हमने उठाये हैं वह स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से जुड़े हैं। अलामेलू ने कहा, मेरा मानना है कि यह समय की जरूरत है।

कार्यालय कलेक्टर सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

अधिसूचना

क्र/3955/जि.भू.अ./2020 सिवनी, दिनांक 01/07/2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

अनुसूची

1- भूमि का विवरणः-

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	छपारा रा.नि.म. छपारा	ग्राम बाम्हनवाड़ा ब.नं.-505 प.ह.नं.-36	कुल रकबा 2.56 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 नहर माइनर नं. 9-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला सिवनी (म.प्र.)

G-14027/20

कार्यालय कलेक्टर सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

अधिसूचना

क्र/3862/भू-अर्जन/2020 सिवनी, दिनांक 27/06/2020

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। तिलवारा बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

1.	जिला	सिवनी
2.	तहसील	धनौरा
3.	नगर/ग्राम	धनौराखुर्द प.ह.नं.-24, रा.नि.मं. धनौरा
4.	अर्जित किए जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल	0.80 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

निजी भूमि का रकबा

क्रमांक	प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
1	165	0.17
2	166/1	0.18
3	166/2	0.07
4	166/3	0.04
5	189/1	0.09
6	189/3	0.08
7	188	0.08
8	192/3	0.06
9	193	0.03
	कुल योग	0.80

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैः- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, अपर तिलवारा बायी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला सिवनी (म.प्र.)

G-14024/20

कार्यालय कलेक्टर सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

अधिसूचना

क्र/3694/जि.भू.अ./2020 सिवनी, दिनांक 18/06/2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

अनुसूची

1- भूमि का विवरणः-

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम गरठिया ब.नं.-127 प.ह.नं.-32	कुल रकबा 1.85 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-3 की नहर माइनर नं. 3-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला सिवनी (म.प्र.)

G-14037/20

कार्यालय कलेक्टर सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

अधिसूचना

क्र/3695/जि.भू.अ./2020 सिवनी, दिनांक 18/06/2020

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबन्धो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग वृहद् परियोजना नियंत्रण मंडल भोपाल के पत्र क्रमांक-22 (ए)/101/2016/एमपीएस/31/1875 भोपाल दिनांक 14.09.2016 के तहत 85000 हेक्टेयर रबी सिंचाई हेतु रूपये 2544.57 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति आदेश की छाया प्रति प्रकरण में संलग्न की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है।

अनुसूची

1- भूमि का विवरणः-

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	ग्राम झिलमिली ब.नं.-223 प.ह.नं.-27	कुल रकबा 2.44 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-4 की नहर माइनर नं. 4-एल के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण

(1) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग कमांक 7 सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
(डॉ. राहुल हरिदास फटिंग)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला सिवनी (म.प्र.)

G-14038/20

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, वि/यां संभाग जबलपुर

website :- www.mp.gov.in/pwdmp, Email :- eepwdelecjbp@mp.nic.in
Tel No. / Fax No. 0764-2620792

निविदा विज्ञप्ति क्र. 13/व.ले.लि./2020-21 दिनांक 09.09.2020

निविदा की संक्षिप्त सूचना (नरसिंहपुर)

म.प्र. राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित संयंत्र/मशीनों की जो जहां जैसी स्थिति में हैं सील बंद निविदा दिनांक 24.09.2020 को शाम पांच बजे तक स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र रू. 1000/- नगद भुगतान कर दिनांक 21.09.2020 को शाम 5 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं निविदा अगले कार्य दिवस दिनांक 25.09.2020 को दोपहर 12 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय प्रांगण में खोली जावेगी प्रत्येक निविदाकार को प्रत्येक संयंत्र/मशीन हेतु तालिका में दर्शाये अनुसार मूल्य की अमानत राशि जो अधोहस्ताक्षकर्ता के नाम से देय हो एफ.डी.आर.,/ड्राफ्ट के रूप में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अमानत राशि के अभाव में उनकी निविदा नहीं खोली जावेगी।

संयंत्र एवं मशीनों का विवरण निम्नानुसार प्रपत्र में संलग्न है।

क्र.	प्लांट एवं मशीनरी का नाम एवं क्रमांक	वर्तमानमें प्लांट एवं मशीनरी जहां उपलब्ध है स्थान का नाम	अमानत राशि	आमंत्रण
1	ट्रक सी.पी. जेड 7120	उपसंभाग ऑफिस केम्पस गाडरवारा	14,000/-	प्रथम
2	ट्रक सी.पी. जेड 7232	उपसंभाग ऑफिस केम्पस गोटेगांव	15,000/-	प्रथम
3	ट्रक सी.पी. जेड 7231	लो.नि.वि. (वि/यां) उपसंभाग नरसिंहपुर	15,000/-	प्रथम
4	ट्रक सी.पी. जेड 7132	रेस्ट हाउस करेली जिला नरसिंहपुर	4,000/-	प्रथम
5	DRR 9083 AJ	लो.नि.वि. उपसंभाग गोटेगांव	9,000/-	प्रथम
6	DRR 1909 AJ	लो.नि.वि. उपसंभाग गाडरवारा	9,500/-	प्रथम
7	DRR 6668	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गाडरवारा	7,200/-	प्रथम
8	DRR 10067	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गाडरवारा	6,500/-	प्रथम
9	DRR 9080	लो.नि.वि. (वि/यां) उपसंभाग नरसिंहपुर	8,500/-	प्रथम
10	DRR 8259	लो.नि.वि. (वि/यां) उपसंभाग नरसिंहपुर	11,000/-	प्रथम
11	DRR 411	लो.नि.वि. (वि/यां) उपसंभाग नरसिंहपुर	7,000/-	प्रथम
12	DRR 416	रेस्ट हाउस करेली जिला नरसिंहपुर	10,000/-	प्रथम
13	ट्रेक्टर एम.पी.जेड-8098	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गोटेगांव	1,000/-	प्रथम
14	ट्रेक्टर एम.पी.जेड-5941	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गाडरवारा	1,000/-	प्रथम
15	ट्रेक्टर एम.पी.जेड-5589	लो.नि.वि. (वि/यां) उपसंभाग नरसिंहपुर	800/-	प्रथम
16	Tracter Trolly	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गोटेगांव	200/-	प्रथम
17	Trolly cum Tracter without wheel	लो.नि.वि. वि/यां उपसंभाग नरसिंहपुर	200/-	प्रथम
18	वाटर टैंकर	लो.नि.वि. उपसंभाग ऑफिस केम्पस गाडरवारा	200/-	प्रथम
19	Mini Canter MP-02-7759	लो.नि.वि. वि/यां उपसंभाग जबलपुर	12,000/-	प्रथम

टीपः- 1- प्लांट एवं मशीनरी जहां पर जिस स्थिति में है विक्रय किया जावेगा किसी भी व्यक्ति को निविदा में भाग लेते समय यह माना जावेगा की उसने संयंत्र/मशीनरी का भली भाति निरीक्षण कर लिया है।
2- संयंत्रों की निविदा स्वीकृति के पश्चात पूर्ण राशि 07 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी नहीं तो प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
3- यदि क्रेता की निविदा स्वीकृति नहीं होती है तो उससे प्राप्त प्रतिभूति राशि के मूल रूप से वापस की जावेगी।
4- निविदा की स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति का होगा।
नोटः- निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही प्राप्त की जावेगी।

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (वि/या)
संभाग जबलपुर

G-13984/20

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd.

CEBBCO ...bodies in motion...

CIN: L24231MP1979PLC049375
Regd. Office : 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

Extract of Un - Audited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2020

[See Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(Rs.In lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.06.2020 Unaudited	Preceding Qtr. ended 31.03.2020 Audited (Refer Note 5)	Corresponding quarter ended in the previous year 30.06.2019 Unaudited	Year ended 31.03.2020 Audited
1	Total Income from Operations	2,997.99	4,570.27	4,152.67	12903.74
2	Net Profit / (Loss) for the period (beforeTax, Exceptional and / or Extraordinary items)	(247.18)	(57.49)	(81.91)	(910.87)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	(247.18)	(57.49)	573.21	(255.75)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	(247.18)	184.29	573.21	(13.97)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(254.02)	157.82	572.91	(41.34)
6	Equity Share Capital	8,948.27	8,948.27	8,948.27	8,948.27
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	595.93
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	(0.28)	0.21	0.64	(0.02)
	2. Diluted:	(0.28)	0.21	0.64	(0.02)

Notes:

1. The above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020, were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10 September 2020. The statutory auditors of the Company have carried out a limited review of the above statement of unaudited financial results for the quarter ended 30 June 2020 and an unmodified opinion has been issued. The same have been filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd. and is also available on the Company's website at **www.cebbco.com**.
2. During the previous year, the Company had forfeited 0.0001% Non-Convertible Cumulative Redeemable Preference Shares due to non payment of unpaid calls. These preference shares were issued to erstwhile promoters in the year 2014-15 amounting to Rs. 2,000 lakhs of which only Rs. 1,300 lakhs was paid up. Out of the paid up amount, Rs.655.12 lakhs was classified as liability component of compound financial instruments as under the requirement of Ind AS 109. Pursuant to the forfeiture, the Company had recognized a gain of Rs. 655.12 lakhs as 'Exceptional Items' in the financials results of the quarter ended 30 June 2019 and for the year ended 31 March 2020.
3. The Company is mainly engaged in the business of metal fabrication comprising load bodies for commercial vehicles and rail freight wagons. These, in the context of Ind - AS 108 is considered to constitute one single reportable segment. Accordingly, disclosures under Ind AS 108, Operating Segments are not required to be made.
4. On account of the spread of COVID-19, the Government of India had imposed a complete nation-wide lockdown on 25 March 2020 leading to shut down of the Company's manufacturing facilities and logistics operations. Since then the government of India has progressively relaxed lockdown conditions and has allowed most of the industries and businesses to resume operations in a phased manner. During the quarter, the Company has resumed its manufacturing facilities and is currently in the process of further scaling up its operations. Further, since the lockdown was still in force for a significant period of the reported quarter, the Company's operations were impacted however, management believes that the impact seems to be temporary in nature and the pandemic is not likely to have an impact on the recoverability of the carrying value of its assets as at 30 June 2020. The management is continuously and closely monitoring the developments and possible effects that may result from the current pandemic on its financial condition, liquidity and operations and is actively working to minimize the impact of this unprecedented situation. As the situation is still continuously evolving, the eventual impact may be different from the estimates made as of the date of approval of these financial results.
5. The figures of the preceeding quarter ended 31 March 2020, as reported in these financial results, are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year ended 31 March 2020 and published year to date unaudited figures upto the end of the third quarter of that finacial year.
6. Previous period figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with current period classification / disclosures.

For and on behalf of the Board
sd/-
Abhishek Jaiswal
Whole Time Director & C.E.O.
DIN- 07936627

Place : Jabalpur
Date : 10-09-2020